(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष मनोज गोयल
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी **2760-III/2013** विरूद्ध आदेश दिनांक 26–06–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 807/बी–121/2011–12.

1–दिनेश सिंह पिता रघुराजसिंह ठाकुर,
2–गजेन्द्र सिंह पिता रघुराजसिंह ठाकुर
3–रामदीन पिता रतनसिंह ठाकुर,
4–नन्हेभाई पिता रतनसिंह ठाकुर
सभी निवासी ग्राम जैतपुर कोपर, तहसील देवरी,
जिला सागर म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मोबाईल टॉवर विजन कंपनी
शाखा जैतपुर कोपरा तहसील देवरी,
जिला सागर म0प्र0
द्वारा देवेश मिश्रा

..... अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक आवेदकगण
अनावेदक–एकपक्षीय

:: आदेश ::

(आज दिनांक 5/4/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 807/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26–06–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्रामवासी जैतपुर कोपरा तहसील देवरी दिनेश, गजेन्द्र वगैरह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवरी के न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत कर निर्धारित स्थान पर लगाये जाने वाले टावर का स्थान बदलने का आग्रह किया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल जॉच उपरांत टावर कंपनी को बस्ती से दूर आवश्यक अनुमति उपरांत टावर लगाने के निर्देश देते हुये आपत्ति मान्य की थी जिसकी निगरानी अपर कलेक्टर द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत निरस्त की गई थी किन्तु अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा बिना किसी आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को निरस्त करते हुये टावर लगाने बावत् आदेश दिनांक को 26–6–2013 पारित करते हुये अपील स्वीकार की । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–6–13 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें बताया कि ग्राम जैतपुर कोपरा में नवनिर्माणधीन मोबाईल टावर वीजन कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है। टावर रहवासी एरिया में लग रहा है इसके निर्माण कार्य में लगे कर्मचारी अनैतिक कृत्य में संलग्न है । टावर लगने से दुर्घटना होने की संभावना है इसलिये टावर निर्माण का स्थान परिवर्तन किये जाने का आदेश दिया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पर हल्का पटवारी का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । पटवारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया तथा प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमिस्वामी सुजानसिंह, पप्पू सिंह पिता हरीसिंह द्वारा अपनी भूमि खसरा कमांक 116/3 रकबा 0.02 हैक्टर वीजन कंपनी को टावर लगाने हेतु दी गई है । वीजन कंपनी द्वारा इस भूमि पर टावर निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है, ना ही कृषि भिन्न प्रयोजन होने से डायवर्सन भी कराया है । ग्रामवासियों को भी इस संबंध में आपत्ति है यदि टावर निर्माण किया जाता है तो ग्राम में शांति भंग हो सकती है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक को पक्ष समर्थन का अवसर दिया गया जिसमें उसके द्वारा शिकायत का जबाव पेश किया गया । तदोपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुये कि टावर कंपनी द्वारा टावर निर्माण के पूर्व किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की है, जो नियमों का

उल्लंघन है । राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया कि टावर निर्माण शिकायतकर्ता के गजेन्द्रसिंह के आवासीय मकानों से लगभग 50 फीट की दूरी पर स्थित है साथ ही अन्य आवासीय बस्ती भी इन्हीं मकानों से लगकर है । टावर निर्माण का लोक सुरक्षा एवं परिशांति की दृष्टि से प्रश्नाधीन भूमि पर स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । टावर कंपनी बस्ती से आवश्यक दूरी पर आवश्यक अनुमतियॉ प्राप्त कर नियमानुसार टावर स्थापित करने की कार्यवाही कर सकती है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किया था जिसकी पुष्टि अपर कलेक्टर सागर द्वारा की गई थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश वैधानिक एवं विधिवत् होने से उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये था । तर्क में यह भी बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत निगरानी भी ग्राह्य योग्य नहीं था अनावेदक को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करना चाहिये थी । तर्क में यह भी बताया कि ऐसी आपत्ति उपरांत पुनरीक्षण अमान्य किये जाने के पश्चात् अपील किये जाने पर भी अपीलीय न्यायालयों द्वारा प्रकरण में अतिसंक्षिप्त रूप से प्रकरण निराकृत कर शिकायतकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत शपथपत्रों को नजरअंदाज कर जिनमें स्पष्ट लेख किया है कि टावर लगने से हमारी व हमारे परिवासर की प्रायवेसी खत्म होगी तथा हमारा सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होगा, किन्तु अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा ग्रामवासियों के हित का त्रुटिपूर्ण आधार लेते हुये जो निष्कर्ष दिया है वह विधिसम्मत् एवं ग्रामवासियों के हित में न होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं अनुविभागीय अधिकारी देवरी का आदेश उचित है जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक अधिवक्ता प्रकरण में कई पेशियों से लगातार अनुपस्थित रहे हैं इसलिये अनावेदकपक्ष के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5– प्रकरण में अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर टॉवर लगाने के लिये विधिवत् ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त की है । ग्राम पंचायत के

सरपंच का अनापत्ति पत्र अभिलेख में संलग्न है । स्थानीय संस्था टावर लगाने की अनुमति देने के लिये सक्षम संस्था है । यह भी विधि अनुसार सही है कि इसके लिये डायवर्सन आवश्यक नहीं है । जहॉ तक लोक शांति भॅग होने का प्रश्न है – इसके तहत भू–राजस्व संहिता के तहत आदेश पारित करने का प्रावधान नहीं है । आपत्तिकर्ताओं को चाहिये कि अपनी आपत्ति सक्षम फोरम में प्रस्तुत करें ।

6– उपरोक्त विवेचना में अपर आयुक्त का आदेश विधिवत् होने से यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर